विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-41/15

श्री विनोद कुमार जैन — आवेदक
आत्मज श्री चन्द्र जैन, वार्ड क्र. 6
कोरियन टोला, मौ
जिला–भिण्ड

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा)संभाग — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
गोहद म.प्र.

आदेश

(दिनांक 02.06.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक C0036810 श्री विनोद कुमार जैन विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. गोहद में पारित आदेश दिनांक 12.4.2010 के विरूद्ध एवं माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 16.10.2015 के पालन में उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–41/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 30.3.2016 को आवेदक की अनुपस्थिति में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है तथा उन्हें लिखित अतिरिक्त बहस एवं तर्क प्रस्तुत करने हेतु अगली तिथि देने का अनुरोध किया गया। तदनुसार सुनवाई हेतु दिनांक 5.4.2016 की तिथि नियत की गई।

04 दिनांक 5.4.2016 को अनावेदक की ओर से श्री सी.के. वलेजा, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपील समय–सीमा में प्रस्तुत न करने की आपत्ति ली गई।

05 प्रकरण के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा दिनांक 15.3.2013 को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की थी एवं उस पर निर्णय दिनांक 16.10.

2015 को दिया गया तथा दिनांक 25.1.2016 को आवेदक को सर्टिफाई कॉपी प्राप्त हुई। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के प्रावधान अनुसार विलंब से प्राप्त आवेदन को मान्य कर सुनवाई जारी रखी गई।

06 सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन में अनावेदक से जानकारी आवश्यक है, जिससे कि प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा सके –

अ आवेदक के पत्र दिनांक 18.11.2015 के अनुसार विभाग द्वारा उनके परिसर में प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से लगे विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित कर आवेदक के नाम से क्यों नहीं दिया गया।

ब आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन के 2005 से मीटर डायरी प्रस्तुत करें।

स परिसर में लगे हुए मीटर का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, मीटर बंद है अथवा चालू है या जला हुआ है।

द मीटर का विवरण किस कंपनी का मीटर लगा है ।

च विगत वर्षों से लगातार औसत बिल करने का कारण।

छ वर्तमान में परिसर में कौन निवास कर रहा है और परिसर किसका है।

07 दिनांक 27.4.2016 को सुनवाई में दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे, अतः अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 12.5.2016 नियत की गई।

08 दिनांक 12.5.2016 को आवेदक उपस्थित थे परन्तु अनावेदक उपस्थित नहीं हुए। तर्क के दौरान आवेदक द्वारा यह बताया गया कि वे अक्टूबर 2012 से विवादित परिसर में निवास नहीं कर रहे हैं तथा अब इस परिसर में श्री विजय कुमार जैन जो उनके भाई हैं, निवास कर रहे हैं तथा उनके द्वारा बीच में विद्युत देयकों का भुगतान भी किया गया है।

09 अनावेदक को पक्ष रखने एवं दिनांक 5.4.2016 की सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देश अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 31.5. 2016 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गई।

10 दिनांक 31.5.2016 को आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदक की ओर से श्री एन. के शर्मा, एई (ओएण्डएम), गोहद उपस्थित हुए। आवेदक द्वारा पूर्व की तिथि दिनांक 12.5. 2016 में अनुरोध किया था कि वे अगली तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो पाएंगे।

अतः अनावेदक का पक्ष सुनकर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया था। अनावेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज एवं तर्क प्रस्तुत किये।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं तर्कों के आधार पर प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार तथ्य सम्मुख आये –

अ प्रकरण में जिस परिसर का उल्लेख किया गया है उसमें एक विद्युत कनेक्शन श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से दिया गया था तथा बाद में आपसी बटवारा होने के कारण यह विवादित परिसर आधा–आधा श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) एवं उनके भाई श्री विजय कुमार जैन के हिस्से में आया। परन्तु विद्युत कनेक्शन श्री प्रकाश चन्द्र जैन जो कि आवेदक के बड़े भाई हैं, के नाम से चलता रहा ।

ब आवेदक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक से दिनांक 8.11.2005 को अनुरोध किया गया कि उनके परिसर में लगा हुआ मीटर खराब पड़ा है उसको हटाया जाए और उस कनेक्शन के विरूद्ध जो भी बकाया राशि है वह श्री प्रकाश चन्द्र जैन से वसूल की जाए तथा उनके नाम से अलग से विद्युत कनेक्शन दिया जाए। (ओई–1)

स श्री प्रकाश चन्द्र जैन द्वारा एक पत्र कनिष्ठ यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, वितरण केन्द्र, मौ को दिया (ओई–2) जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके नाम से दो विद्युत कनेक्शन हैं जो कि एक सदर बाजार की दुकान पर है जिसका उपयोग वे स्वयं करते हैं तथा दूसरा कनेक्शन मकान में है जिसमें कि श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) रहते हैं तथा वे स्वयं एक अन्य मकान में निवास करते हैं जहां पर कि उनके द्वारा दूसरा कनेक्शन लिया हुआ है। सदर बाजार में स्थित दुकान का उपयोग श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) द्वारा किया जा रहा है तथा मकान के कनेक्शन का उपयोग श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) तथा श्री विजय कुमार जैन द्वारा किया जा रहा है।

द श्री प्रकाश चन्द्र जैन द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मकान के विद्युत कनेक्शन के विद्युत देयकों की कुल बकाया राशि का 1/2 हिस्से का भुगतान रूपये 13216/– श्री विजय कुमार जैन द्वारा दिनांक 6.12.2005 को कर दिया गया था तथा वर्ष 2005 से ही मकान वाले विद्युत कनेक्शन से विद्युत का उपयोग करना पूर्णतः बंद कर दिया गया। आवेदक द्वारा दुकान के विद्युत कनेक्शन का भुगतान किया जा रहा है परन्तु घर के विद्युत कनेक्शन के बिलों का भुगतान नहीं किया जाकर उसका चोरी–छिपे विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। अतः विद्युत कनेक्शन श्री विनोद कुमार जैन के नाम से ट्रांसफर करने हेतु अनुरोध किया था। (ओई–2)

च श्री विजय कुमार जैन द्वारा कनिष्ठ यंत्री, गौहद को दिनांक 6.2.2005 को अवगत कराया गया कि विवादित परिसर में स्थापित मीटर श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से है परन्तु अब वे दूसरे मकान में रहते हैं तथा विद्युत बिल से उनका कोई लेना–देना नहीं है (ओई–3)। उनके द्वारा दिनांक 6.12.2015 को कुल बकाया राशि की आधी राशि जमा कर

दी है तथा आधी राशि का भुगतान उनके भाई श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) करेंगे तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परिसर का विद्युत कनेक्शन श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से है तथा दिनांक 12.11.2005 को अस्थाई रूप से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था।

11 श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) द्वारा एक अन्य आवेदन कार्यपालन यंत्री, गौहद को दिया (ओई–4) जिसमें कि उनके द्वारा परिसर में लगे विद्युत कनेक्शन क्र. 201267 का मीटर 4 साल से बंद पड़ा है तथा श्री प्रकाश चन्द्र जैन कहीं चले गये हैं अतः श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से लगे मीटर को हटाने तथा उसकी बिलिंग बद करने का अनुरोध किया। उस समय कनेक्शन पर कुल बकाया राशि रूपये 20511/– थी।

12 आवेदक द्वारा उनको नया विद्युत कनेक्शन नहीं देने के कारण एक शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र को की गई। जिसकी सुनवाई के पश्चात फोरम द्वारा दिनांक 12.4.2010 को आदेश पारित किया गया। (ओई–5) आदेश के अनुसार उन्हें मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.17 के अनुसार जिसमें कि परिसर में बकाया राशि है तो उस परिसर में नया कनेक्शन न दिये जाने का प्रावधान है तथा अनावेदक को दिनांक 9.3.2010 को विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की कंडिका 10.17 एवं 10.18 के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था कार्यवाही कर दिनांक 12.5. 2010 तक फोरम को सूचित करने के निर्देश दिये थे। जिस पर कार्यवाही अनावेदक द्वारा नहीं की गई।

13 आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट है कि पारिवारिक विवाद होने के कारण विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया तथा अनावेदक द्वारा भी प्रकरण के निराकरण हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाकर लगातार 2003 से औसत यूनिट की डिमाण्ड की जाती रही। जबकि अनावेदक को यह भली–भांति मालूम था कि विद्युत कनेक्शन श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से है एवं उनके पारिवारिक विवाद के कारण विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है उसके बाद भी बकाया राशि होने के कारण समय रहते कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही नहीं की गई। जबकि श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाना चाहिए था । विद्युत शिकायत निवारण फोरम द्वारा लिये गये निर्णय (ओई–6) से स्पष्ट है कि नियमानुसार अनावेदक को श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किया जाना चाहिए था जबकि आवेदक द्वारा भी अनुरोध किया गया था और नये कनेक्शन देने की मांग की गई, परन्तु इस प्रकरण में अनावेदक की कोई भी इच्छाशक्ति प्रकरण को निपटाने के लिए नहीं प्रतीत होती है।

14 आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–7) जिसमें कि अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत प्रकरण विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि.) के न्यायालय गौहद में प्रस्तुत किया गया था जिसके विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज के

आधार पर न्यायालय में श्री प्रेमचन्द्र जैन (ओई–8) द्वारा न्यायालय में वयान दिया कि श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) उनके यहॉ किरायेदार की हैसियत से पिछले ढाई वर्ष से रह रहे हैं तथा विवाद होने के कारण उन्होंने अपना पुस्तेनी मकान छोड़ दिया है तथा इसकी पुष्टि कार्यालय नगर पंचायत द्वारा भी की गई जिसमें कि उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है (ओई–9) कि श्री विनोद कुमार जैन श्री प्रेमचन्द्र जैन के मकान पर किरायदार की हैसियत से 2–3 वर्ष से रह रहे हैं।

15 श्री विजय कुमार जैन द्वारा पूर्व में ही (ओई–3) सूचित किया जा चुका है कि वे उपरोक्त कनेक्शन से विद्युत का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा दिनांक 12.11.2005 से ही विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित किया जा चुका है तथा श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) भी अक्टूबर 2012 से उक्त परिसर को छोड़कर अन्य स्थान पर किराये की हैसियत से रह रहे हैं। इसके बावजूद भी अनावेदक द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया कि वास्तव में अब विवादित कनेक्शन नं. 201267 का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है। जबकि विजय कुमार जैन आवेदक के भाई हैं उसी परिसर में निवासरत हैं तथा इतने वर्षों से बगैर विद्युत का उपयोग किये परिसर में कैसे रह रहे हैं सुनिश्चित नहीं किया गया।

16 दिनांक 5.4.2016 को सुनवाई के दौरान अनावेदक को निर्देश दिये गये थे कि वे सुनिश्चित करें कि वर्तमान में परिसर में कौन रह रहा है, इस बारे में अनावेदक द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

17 अनावेदक द्वारा विभाग का हित न देखते हुए केवल परिसर के परिवार के आपसी विवाद में पड़कर प्रकरण का निपटारा करने में लापरवाही बरती गई एवं जो कि सेवा में कमी दर्शाता है।

18 उपरोक्त विवादित विद्युत कनेक्शन श्री प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से होने पर एवं विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान न करने पर अनावेदक को कनेक्शन तत्काल प्रभाव से विच्छेदित किया जाकर मीटर निकालकर बिलिंग बंद कर देनी चाहिए थी जिससे कि विद्युत उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शनधारी एवं उपयोगकर्ता स्वयं आपस में विवाद का निराकरण करते जिससे कि अनावेदक को बकाया राशि का भुगतान प्राप्त होता।

19 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–10) से स्पष्ट है कि वर्ष 2003 से ही मीटर के तार निकले हुए थे एवं विद्युत का उपयोग डायरेक्ट तार डालकर किया जा रहा था तथा अप्रैल 2003 से अप्रैल 2009 तक प्रतिमाह 80 यूनिट का औसत बिल किया तथा दिसंबर 2005 से त्रैमासिक रीडिंग होने के कारण 300 यूनिट प्रति त्रैमासिक की दर से बिल किया जाता रहा। जबकि दिनांक 30.3.2008 को लाईनमैन द्वारा विद्युत का उपयोग न होना एवं कनेक्शन बंद करने की टिप्पणी लगातार 28.6.2011 तक मीटर रीडिंग डायरी में

है। (ओई–10) परन्तु अनावेदक द्वारा परिसर का समय–समय पर निरीक्षण करने की जरूरत नहीं महसूस की और लगातार औसत यूनिट का बिल भेजते रहे।

20 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–11) जिसमें कि 1.1.2010 से 1.3.2016 तक की बिलिंग डिटेल प्रस्तुत की गई के अनुसार दिनांक 1.1.2010 से 1.6.2013 तक शून्य खपत दर्शायी जाकर न्यूनतम राशि का बिल किया गया तथा 1.7.2013 से 1.11.2015 तक औसत 100 यूनिट प्रतिमाह एवं 1.12.2015 से 1.3.2016 तक 90 यूनिट औसत यूनिट प्रतिमाह का बिल दिया गया है तथा कुल बकाया राशि रूपये 94,310/– दर्शायी गई है। जबकि श्री विनोद कुमार जैन (आवेदक) अक्टूबर 2012 से परिसर में निवास नहीं कर रहे थे। अतः स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा बिना सुनिश्चित किये कि परिसर में विद्युत का उपयोगकर्ता कौन है एवं विद्युत का उपयोग हो भी रहा है अथवा नहीं कार्यालय में बैठकर मनमाने ढंग से औसत खपत के समतुल्य राशि की बिलिंग की जाती रही और आवेदक से अपेक्षा की जाती रही है कि वह विद्युत देयक का भुगतान करे।

21 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा दिनांक 12.4.2010 को दिये गये आदेश जिसमें कि उनके द्वारा अनावेदक को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 10.17 एवं 10.18 के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था जिसमें कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 में दिये गये प्रावधानों का कढ़ाई से पालन करने का उल्लेख था। यदि अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा उक्त कंडिकाओं के प्रावधानों का कढ़ाई से पालन करते हुए कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाता तो बकाया राशि जो बढ़कर दिनांक 1.3.2016 तक रूपये 94,310/– हो गई है वृद्धि नहीं होती।

22 यदि अनावेदक द्वारा आवेदक श्री विनोद कुमार जैन के अनुरोध पर (ओई–1) जिसमें कि उनके द्वारा वर्ष 2005 में डिफेक्टिव मीटर बदलने एवं प्रकाश चन्द्र जैन के नाम से कनेक्शन विच्छेदित करते हुए उन्हें नया कनेक्शन देने के आवेदन पर यदि कार्यवाही की गई होती तो बकाया राशि में इतनी बढ़ोत्री नहीं होती एवं प्रकरण का निपटारा हो सकता था।

23 इस प्रकरण में बकाया राशि का भुगतान न करने पर म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधान अवलोकन किया गया तथा जिसकी कंडिका 7.25 एवं 7.26 जो निम्नानुसार हैं –

> ***7.25 यदि किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण 60 दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध की समाप्ति के लिए "कारण बताओ नोटिस" जारी करेगा, जिसका उत्तर देने के की समय सीमा 7 दिवस होगी। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिए या विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो 7***

दिवस की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत आपूर्ति के लिए उपभोक्ता के साथ हुआ अनुबंध समाप्त माना जाएगा, बशर्ते अनुबंध की प्रारंभिक अवधि समाप्त हो चुकी हो। अस्थायी विच्छेदन की अवधि में उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

7.26 घरेलू या एकल फेज गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता अनुबंध की दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महिने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकते हैं। तथापि घरेलू तथा एकल फेज गैर–घरेलू श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता किसी कारणवश यदि अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के पहले अनुबंध समाप्त करना चाहते हैं तो उपभोक्ताओं को 2 साल की अवधि में से बची हुई अवधि के लिए प्रचलित टैरिफ के अनुसार प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होंगे। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं के अंतिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि पर विशेष मीटर रीडिंग लेने का प्रबंध करेगा। अनुबंध माह के अंतिम दिन समाप्त होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार अंतिम बिल बनाएगा।

उपरोक्त कंडिकाओं के अनुसार यदि विवादित कनेक्शन जो कि घरेलू श्रेणी का है में 15 दिन का नोटिस देकर विद्युत प्रदाय बंद कर दिया जाता एवं कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाता तो न तो विवाद होता है और न ही बकाया राशि में वृद्धि होती।

24 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी स्टेटमेंट (ओई–10) के अनुसार यह स्पष्ट है कि दिनांक 30.3.2008 से ही परिसर में विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा था । परन्तु अनावेदक द्वारा अनावश्यक रूप से प्रतिमाह औसत यूनिट की बिलिंग की जाती रही जिसके कारण बकाया राशि में वृद्धि हुई एवं उसके उपरांत भी उनके द्वारा कनेक्शन स्थायी रूप से काट कर बिलिंग बंद करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और न ही परिसर का समय–समय पर अकस्मात निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया गया कि परिसर में विद्युत का उपयोग आवेदक अथवा उसके भाई श्री विजय कुमार जैन द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं। अतः स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपने स्तर से प्रकरण को निपटाने में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा वे आवेदक के पारिवारिक झगड़े में पड़कर विभिन्न स्तर पर न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझे रहे। जबकि अनावेदक को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 7.25 एवं 7.26 के तहत दिनांक 12.11.2005 को जब विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा चुका था कनेक्शनधारी श्री प्रकाश चन्द्र जैन को 15 दिन का नोटिस देकर कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर बिलिंग बंद कर दी जानी चाहिए थी।

25 अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में दिये गये प्रावधानों का पालन न करने के कारण प्रकरण उलझता गया एवं अनावश्यक रूप से बकाया राशि में वृद्धि हुई। जबकि उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर परिसर में विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा था। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपने कर्त्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर लापरवाही बरती गई, अतः यह न्यायसंगत एवं उचित होगा कि दिनांक 01.12.2005 के पश्चात अनावश्यक रूप से की गई बिलिंग को निरस्त किया जाए।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) विद्युत कनेक्शन क्रमांक 201267 के विरूद्ध दिनांक 1.12.2005 के पश्चात औसत यूनिट के आधार पर की गई बिलिंग को निरस्त किया जाए।

(ii) आवेदक द्वारा दिनांक 30.11.2005 की स्थिति में बकाया राशि का भुगतान करने पर उन्हें प्रचलित नियमों के तहत एवं औपचारिकतापूर्ण करने पर नया कनेक्शन तुरंत दिया जाकर अवगत करायें।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय संहिता 2004 एवं विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का पालन न करने के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

26 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल